अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3451(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं का.आ. 388 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द बाम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट, रिजेंट चैंबर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई'' द्वारा "मुम्बई, महाराष्ट्र में स्कूल एडोप्शन स्कीम एंड वालवाड़ी परियोजना'' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 23 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 303 (अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 27 नवंबर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1373 (अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 474 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 14 अक्तूबर 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2611(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन और वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 653 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि परियोजना के लिए बढ़ायी गयी निधियों का उपयोग करने के पश्चात तत्काल मामले पर आगामी विस्तार हेतु विचार किया जाएगा;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "द बाम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट, रिजेंट चैंबर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई'' द्वारा चलायी जा रही "मुम्बई, महाराष्ट्र में स्कूल एडोप्शन स्कीम एंड वालवाड़ी परियोजना'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए 300.00 लाख रूपये की अनुमोदित लागत मे कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 277/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ (एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)